

धारा 68 : संचलन में माल का निरीक्षण

- (1) सरकार ऐसी रकम से अधिक मूल्य के, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, मालों के परेषण का प्रवहण करने के लिए प्रभारी व्यक्ति से ऐसे दस्तावेजों और ऐसी युक्तियों, जो विहित की जाएं, को साथ रखने की अपेक्षा कर सकेगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन साथ रखने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के ब्यौरों का ऐसी रीति में विधिमान्यकरण किया जाएगा, जो विहित की जाए।
- (3) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी प्रवहण को किसी स्थान पर समुचित अधिकारी द्वारा रोक लिया जाता है, वहां वह उक्त प्रवहण के प्रभारी व्यक्ति से उक्त उपधारा के अधीन विहित दस्तावेजों और युक्तियों को सत्यापन करने के लिए प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा और उक्त व्यक्ति दस्तावेजों और युक्तियों को प्रस्तुत करने का तथा माल के निरीक्षण को भी अनुज्ञात करने का दायी होगा।

उपयुक्त नियम : नियम 55, 55क, 138क, 138ख, 138ग, 138घ, 138ङ.

उपयुक्त प्रारूप : प्रारूप जीएसटी ईडब्लूबी-01, जीएसटी ईडब्लूबी-02, जीएसटी ईडब्लूबी-03, जीएसटी ईडब्लूबी-04, जीएसटी ईडब्लूबी-05, जीएसटी ईडब्लूबी-06, जीएसटी आईएनवी-01